उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–236790/2024/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 ई0–48725
देहरादूनः दिनांकः 03 सितम्बर, 2024

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 और धारा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का सदांय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षित नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(झ) ''ई–स्टाम्प'' से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है और इसमें डिमैटरियलाइज्ड प्रारूप में डिजिटल ई–स्टाम्प सम्मिलित है।	(झ) ''ई–स्टाम्प'' से स्टाम्प शुल्क की देयता का अंकन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित चिन्ह अभिप्रेत है और इसमें डिमैटरियलाइज्ड प्रारूप में डिजिटल ई–स्टाम्प सम्मिलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख में अंकित उत्तराखण्ड राज्य में

	प्रवृत्त गैर पंजीकरण योग्य विलेखों को डिजिटल ई–स्टाम्पिंग के माध्यम से पेपरलैस ई–स्टाम्पिंग हेतु अनुलग्नक की तालिका के अनुसार सम्मिलित किया जाता है।

आज्ञा से,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 02-09-2024 19:10:08

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>सं0–236190(1)/ XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 ई0–48725 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड ख में प्रकाशित करते हुए 100–100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 03-09-2024 12:29:43

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 03/09/2024 03:48 PM

अधिसूचना संख्या–236790/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 ई048725, दिनांक 03/9/2024 का अनुलग्नक

क्रमांक	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का नाम
1	1	ऋण की स्वीकारोक्ति
2	4	शपथपत्र
3	5	करार या करार का ज्ञापन
4	6	स्वत्वपत्रों का निक्षेप, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार
5	12–क	बैंक गारंटी
6	15	बन्ध पत्र
7	17	निरस्तीकरण का विलेख
8	24	प्रति या उद्धरण
9	25	प्रतिलेख या द्वितीय प्रति
10	34	क्षतिपूर्ति बांड
11	40	बन्धक पत्र
12	41	एक फसल का बन्धक
13	42	नोटरीकृत्य
14	50	बिल या नोट का प्रोटेस्ट
15	54	बन्धक की गयी सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण
16	56	रेस्पोन्डेंशिया बांड
17	57	जमानती बांड या बन्धकपत्र

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 03/09/2024 03:48 PM

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.236789/2024/ XXVII(9)/ Stamp-42/2008, E-48725 Dehradun:: dated 03 September, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 236789/2024/XXVII(9)/Stamp-42/2008 E-48725
Dehradun: dated: 03 September, 2024

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Section 74 and Section 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011, namely:-

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF e-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement **1.** **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty By Means of e-Stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2024

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 2 **2.** In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of e-stamp Certificates) Rules, 2011 for the existing clause (i) of sub rule(1) of rule 2 as set out in column 1 below, the rule set out in column-2, shall be substituted as follows, namely:-

Column-I	Column-II
Existing rule	**rule as hereby substituted**
(i) "e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty and includes digital E-Stamp in a dematerialised format.	(i) "e-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of Stamp duty and includes digital E-Stamp in a dematerialised format. Non registrable deeds in force in the state of Uttarakhand mentioned in Schedule 1-

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 03/09/2024 03:49 PM

	B of the Indian Stamp Act, 1899 are included for paperless e-stamping through digital e-stamping, as per the table of Annexure.

By order,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 02-09-2024 19:09:14
(Dilip Jawalkar)
Secretary

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 03/09/2024 03:49 PM

Annexure of Notification No-236799/XXVII(9)/Stamp-42/2008 E-48725, dated 03/09/2024

S.No.	Article No.	Article Name
1	1	Acknowledgement of Debt
2	4	Affidavit
3	5	Agreement or Memorandum of Understanding
4	6	Agreement relating to deposit of title deeds, pawn or pledge
5	12-A	Bank Guarantee
6	15	Bond
7	17	Cancellation
8	24	Copy or extract
9	25	Counterpart or duplicate
10	34	Indemnity Bond
11	40	Mortgage-Deed
12	41	Mortgage of a crop
13	42	Notarial Act
14	50	Protest of bill or note
15	54	Re-conveyance of mortgaged property
16	56	Respondentia Bond
17	57	Security Bond or Mortgage Deed

(Dilip Jawalkar)
Secretary.